

>

Title: Discussion on the resolution regarding effective steps to curb rising incidents of violation of Human Rights in the Country.

MR. CHAIRMAN: The House shall now take up Item No. 20. Shri Basudeb Acharia.

Mr. Acharia, before you start, I would like to say that the Private Members Business is always on Friday and since Saturday and Sunday are holidays, the presence of the Members is negligible or it is very less. I would like to request to you, since you are one of the senior Members of the House, to move a proposal in the BAC that the day of Private Members Business should be changed.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Yes, Sir. We are also in favour of shifting Private Members Business from Friday to Thursday.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कोशाम्बी): महोदय, उस दिन कोई न कोई सब्जेक्ट तो आएगा।

सभापति महोदय : शैलेन्द्र जी, मैं आपको कहूँ कि अगर आपका ज़ीरो आवर होगा तो आप दो घंटे बाद भी आ जाएंगे, लेकिन प्राइवेट बिल में कोई नहीं आता।

श्री हुवमदेव नारायण यादव (मधुबनी) : हम आपकी राय से सहमत हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार: इस मामले को बीएसी में रखा जाएगा।

सभापति महोदय : हाँ, आप भी उसके मेंबर हैं।

SHRI BASU DEB ACHARIA: Sir, I beg to move:

"That this House expresses its serious concern over the rising incidents of violation of Human Rights in various parts of the country and urges upon the Government to take effective steps to curb the occurrence of such incidents."

Sir, I am in this House for the last 32 years. I have never seen this House ever had a structured debate on a very important subject pertaining to millions and millions of people of our country.

We debated and we raised the issue whenever there was any incident of human rights violation, whether it is custodial death, fake encounter or unnecessary harassment by the security forces of people kept in custody without any reason, but there had not been structured debate on this important subject. Today, I am raising this subject because I found that even after constitution of National Human Rights Commission in 1993 the number of incidents of violation of human rights has not reduced.

I have the figures for the last three years where you will find how the number of incidents has increased. In 2006-07, it was 82,233; next year it increased to 1,00,616 and then it came down slightly to 90,446, but it is still more than the number of incidents that had taken place in 2006-07. You will be surprised to know that in one year the incidents of custodial death have increased to 1,523 and so also the cases of murder.

Sir, the Right to Life is a Human Right, it is a Fundamental Right. The right to have a decent living is a Fundamental Right. It is a human right. So, the essence is the defence of human dignity, to live with dignity. What is the situation today in our country? Rather a substantial percentage of the population do not have decent living. If one-fourth of the population has to go empty stomach daily even after 65 years of independence, will it be treated as decent living? This is the situation today prevailing in our country. If a substantial percentage of women are suffering from malnutrition, is it a decent living? The Prime Minister had called it a national shame, a '*rashtriya lajj*'. Is it a decent living? Lakhs and lakhs of people are living in slums without any amenities, without any facilities in unhygienic condition. Is it a decent living? Are human rights not being blatantly violated? The tribals are uprooted from their land; they are displaced. I referred to that only two days back while speaking on increase in Naxalite activities. I referred to you, Kishore ji. For the big projects, for mining projects, for irrigation

projects, who are at the receiving end? They are tribals. They are uprooted; they are displaced. Will it not be treated as violation of human rights? It is violation of human rights. In Kokrajhar district there was an ethnic clash. It is not a recent clash but a clash in 1996 and 1998 with adivasis. Adivasis means Santhals. They migrated from Chota Nagpur to Assam but they are still not recognised as tribals. Kishore Chandra Deo ji, you know that in Assam I fought for it. For many-many years I have been fighting for them. Their forefathers were from my area, Purulia and Chota Nagpur Division. They migrated hundred years back. Britishers took them to Assam to work in the tea gardens but still they are not recognised as tribals. A young woman was stripped on the street of Guwahati – we still remember that incident – six years back. Was it not a human right violation? If 10,000 tribals have to stay in the relief camp after 12 years – these adivasis are still in the relief camp – is it not a violation of human rights? Kashmiri Pandits were displaced. They left their homes, their properties, their houses and are living in Delhi. It is also a human right violation. If a young Muslim was picked up from his house and his parents, till today, do not know where his son has gone, it is also a blatant human right violation. In Jammu and Kashmir and Manipur, Armed Forces Special Powers Act still continues. There is a Commission, there is a Committee in regard to Manipur. That Committee recommended for withdrawal of Armed Forces Special Powers Act from the entire State. But it has not been implemented. There are a large number of violations of Human Rights in the State of Manipur. We know as to how the young women were raped. All these were Human Right violations which were happening.

Sir, Binayek Sen, a social activist was arrested and put behind the bars. He was languishing in jail for one year and by the order of the hon. Supreme Court he was released. What was the case against him? Why was he arrested? I would like to know whether any action has been taken against those who have arrested him. Why a man would suffer because of the motivated action of the administration of the Government?

Sir, I referred to some places when I spoke on Adjournment Motion on Assam because I had been to those places. I saw with my own eyes the plight of the people. Today I refer to a relief camp where 6,665 victims of 15 villages were staying. Women were giving birth to their children in the relief camp without any sanitation, without any hygienic conditions, without proper food and without proper clothing. These are the glaring examples as to how the Human Right violations are taking place in our country and the administration and the Government are silent spectators.

I refer to the incident of 29th June of Bijapur District of Chhattisgarh. Twenty tribals were killed in a cold-blooded manner. The Maoists might have used them as a shield. What was their fault? A six-year child, a school going child and women were killed. I would like to refer to the statement of my friend Mr. Kishore Chandra Deo. He asked this question as to how they could be Maoists when not a single arm could be recovered from them. I would like to know whether any action could be taken against a person or persons who were responsible for killing of 20 *adivasis* including women and child for violation of Human Rights. I ask this question.

When fake encounters took place maybe in Batla House or some other places whether any proper inquiry has been done. When it was proved that it was a fake encounter whether any action has been taken against the culprits.

When there was a bomb blast at Hyderabad or Malegaon, why Muslim youths were arrested and put behind the bar? They had to languish inside the jail for few months. Afterwards it was proved that it was not the handy work of Muslim fundamentalists but Hindu fundamentalist forces. But 30 or 35 youths had to languish in jail without any freedom. I would like to know whether it was not a blatant violation of Human Right. After their release, when it was found that none of the youths were responsible for this action, whether any penalty or punishment is imposed on those who ordered for their arrest and detention. कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होता, जब गरीबों के ऊपर ऐसा होता है। कुछ नहीं होता है, यही चलता है।

We should seriously think over it as to how human dignity is ensured because this right was given by the Constitution under Article 19. I have referred to this Article while speaking on the exodus of the North Eastern people from various places. Article 19 (d) says: "To move freely throughout the territory of India." Any citizen of our country can move to any State.

What happened in Maharashtra a few years back? The people from Bihar, Uttar Pradesh and North India went to Maharashtra. Most of them were working there as taxi drivers. They were beaten, assaulted and they were asked to leave Maharashtra. A similar incident had also happened in Tinsukia, Assam a few years back. There was an attack on Biharis, who were having small tea shops. They were poor people and they migrated from Bihar, not permanently. They were doing business in Tinsukia, Assam. Their shops were burnt down, put on fire and they were asked to leave Assam.

Sir, we have this fundamental right; under Article 19 of the Constitution of India we can go and reside anywhere and work anywhere in the country; the boys and girls can study anywhere in the country. It is a fundamental right of a citizen. That is

being denied now. The situation is very grave. You can find that now there is an increase in the number of incidents of human right violations. How is it increasing? If you analyse it, then you will be able to realise that the situation is very grave.

Sir, I will come to my State, West Bengal. Once I raised this issue and I asked this question – if a fundamental right is violated, where can I raise it? I can raise it in this place, that is, Parliament. I cannot raise it on the street. Right to life is a fundamental right. If that right is violated, if that right is taken away, and if there is an attack on that right, then I have every right to raise that here, on the floor of this House.

Since the last Assembly election, 75 of our workers, leaders and cadres had been killed. Is it not a human right violation? What is the responsibility of the State Government? State Government do not belong to a particular Party, which I always said. A Member of Parliament does not belong to a particular Party. He is called 'people's representative'. Till election, he is a candidate of a Party. After he is elected, he becomes the people's representative. 'People' means Congress, BJP, CPI (M), Trinamool Congress and all Parties.

I remember, While Shri Advani ji was speaking on the Sixtieth Year of Parliament, he said that two things are required. One is tolerance; and the second is respect to the others, respect to the Opposition. सहनशीलता और प्रतिपक्ष के लिए सम्मान और अगर ये नहीं रहेगे तो हमारा संसदीय लोकतन्त्र समृद्ध नहीं हो सकेगा। So, these two things are required the most. But ironically, these two things are lacking in the State of West Bengal.

Sir, you would be surprised to know as to how the Human Rights are being violated in that particular State. How many people are now out of their houses and villages? The number is 40,142. For the last more than one year since election, 40,142 people are homeless. They cannot stay in their homes; they cannot till their land. In the Kharif season of 2011 and this year, they could not till their land. They cannot go back to their houses. If they go back, they have the fear that they would be killed. Is it not a blatant violation of the Human Rights? They have the right to live in their houses. But that right is being taken away from them.

What is the responsibility of the State Government? I do not say that the State Government is a silent spectator. But behind the support of the Administration, all these things are being done.

Sir, the other day while replying to a question, the hon. Minister Shri Jairam Ramesh gave the example of West Bengal for implementing "Operation Barga" to protect the rights of the sharecroppers; and said that other States should emulate West Bengal, where 35 lakh sharecroppers' names have been registered under this "Operation Barga" scheme. He advised that the other States should follow West Bengal to protect the rights of the *Bargadars*, the sharecroppers in their States.

How many of these *Bargadars*, sharecroppers have been evicted? It is 15,000 who have been evicted since last year 2011. That means, these 15,000 persons have the right to a decent living; they have the Right to Live. The Right to Live is a Fundamental Right; it is a human right. But they are taking away their Right to Live. Will it not be treated as the violation of the provisions of the Constitution? If the provisions of the Constitution are being violated, that means, Constitution is being violated.

Sir, the Land Reforms have been implemented in West Bengal. How many landless people have got land? It is more than 30 Lakh landless, who have got land. But how many have been evicted? They are known as *Pattadar*, patta holder; and 17,000 patta holders have been evicted from their land. Is it not an attack on them? Is it not the violation of Right to Live? We are taking away the livelihood of the people to the extent of 17,000 at the behest of the State Government.

Recently, a statement was made by the Chairman of the Press Council of India, Mr. Markanday Katju. He referred to an incident. When the Chief Minister was addressing a meeting at Lalgarh, a young poor farmer, maybe, of 35 years old, asked one question to the Chief Minister. He came in front of the dais. Why the price of fertilizer has increased so much? उर्वरक का भाव इतना क्यों बढ़ा? Immediately, what was the reaction of the Chief Minister? "He is the Maoist. He should be immediately arrested." I think you have gone through the editorials of yesterday's *The Hindustan Times* and today's *The Hindu*. If you have not read, I would request you that when you will go home, at least you go through this one page editorial, an article, a write-up of today's *The Hindu* and yesterday's *The Hindustan Times*.

MR. CHAIRMAN: I am requesting that since you have spoken for half-an-hour and only a few Members are to speak on the subject, you can get the reply today itself if you finish your speech early.

SHRI BASU DEB ACHARIA: * The next day, as there were no charges against him, that young man was released. Then, again he was arrested and bail was denied to him.

16.58 hrs (Shri Satpal Maharaj *in the Chair*)

Then, he said accusing the ...* The Press Council of India Chief, Mr. Markandey Katju had once praised her.

सभापति महोदय: अगर आप नाम न लें तो अच्छा रहेगा। Please do not take the name.

SHRI BASU DEB ACHARIA: Let me say, the Chief Minister.

He said this over the arrest of a man, who asked her a question during a rally. Katju said the arrest of Shiladitya Chowdhury, the name of that young farmer, who is dubbed as ...* after he asked what steps she is taking to help farmers, amounted to blatant misuse of State power, State machinery.

What he said,

"I had earlier given a statement in favour of the Chief Minister of West Bengal because I thought one should see good points in a person's personality also. But now I have changed my opinion and believe that she is totally unbecoming to be a political leader in a democratic country like India since she has no respect for Constitutional and civil rights of citizens and is totally*

17.00 hrs

A former Supreme Court judge said that the administrative police authorities could face criminal proceedings for taking illegal order at the Nuremberg Trial. The Nazi criminal took the plea that orders were orders and they were only carrying out the orders of Hitler as they were superior. But, this plea was rejected and they were hanged. The West Bengal officials should take a lesson from Nuremberg verdict, if they do not wish to suffer a similar fate.

There is one other incident. We have every right to criticism; every right to expression. It is also a Fundamental Right.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI BASU DEB ACHARIA: I am concluding. I am coming to my conclusion. You also realize it that this is a very important subject.

Right to Expression is a Fundamental Right, like Right to Form Union and Right to Association. It is also being denied. The incident took place in the State of Haryana at Manesar Unit of Maruti Suzuki. It was not a sudden outburst but it was a simmering discontent. They denied the fundamental right of the workers to have their unions and that unions should be registered. That right was denied to them for years together. That was the simmering discontent, which outburst that day. And now, 500 workers are being retrenched and it is being reopened. The retrenchment of the workers at the Manesar Unit of Maruti Suzuki is also a violation of human rights.

I was referring to another incident. It is about one Professor of Jadavpur University. Jadavpur University is a well-known University of our country. He circulated a cartoon.

MR. CHAIRMAN: The Minister also has the right to reply.

SHRI BASU DEB ACHARIA: Yes, and we hear.

Sir, he circulated a cartoon. After 15 days, that Professor, the gentleman was manhandled by Trinamool Congress' hoodlums as if it was an indecent cartoon to vanish the Chief Minister; vanish means to kill the Chief Minister. He was arrested. He was picked up from his house along with the Secretary of Housing Cooperative Society, Mr. Sengupta. Both were picked up from the houses and put behind the bar. They were for 24 hours in police custody. Then, the West Bengal Human Rights Commission took up the case *suo motu*. What is the observation of the West Bengal State Human Rights Commission?

"The way the police officers of Purba Jadavpur Police Station arrested Professor Ambikesh Mahapatra and Shri Subrata Sengupta on 12/04/2012 at 11 p.m. for circulation, a fortnight ago, the subject cartoon by e-mail and for which twice regret – he also expressed regret – was expressed by him and did not arrest any one of agitating mob."

None of them among those, who manhandled the professor, were arrested.

"who wrongfully confined those two persons in presence of police in office of their residential complex makes out a case of police excess and high handedness specially when those two persons are otherwise respectable citizens without any criminal record. Citizens who are expressing or airing critical opinion about the ruling party cannot be picked up from their residence by the police at the instance of agitated mob whose members are unhappy with the critical views of those two persons. If this is allowed to continue, then not only human rights of dissenters will perish, free speech which is the life-blood of our democracy will be gagged. Constitutional provisions will be reduced to parchment promises and we will be heading towards a totalitarian regime in complete negation of democratic values in the largest democracy of the world. The Commission cannot be a mute spectator to such a sordid situation in the name of maintaining rule of law."

Then, a penalty on the State Government has been imposed. The State Government will have to pay Rs.50,000 each as a penalty and order for the proceedings against two officials. This is the situation today existing in a State of our country. How human rights, rights of the people, right to expression, right to form union, right to live in his place, right to livelihood; all these rights are being attacked and the constitutional rights are violated! If the constitutional rights are violated, that means, the Constitution is also violated. The Central Government should not remain as a silent spectator. The Central Government has the responsibility to see that the constitutional rights of the people of our country are protected.

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That this House expresses its serious concern over the rising incidents of violation of Human Rights in various parts of the country and urges upon the Government to take effective steps to curb the occurrence of such incidents."

श्री हुवमदेव नारायण यादव (मधुबनी): माननीय सभापति महोदय, मेरा सौभाग्य है कि जब भी मैं बोलने के लिए खड़ा होता हूँ तो आसन पर आप ही होते हैं।

सभापति महोदय: धन्यवाद।

श्री हुवमदेव नारायण यादव: महोदय, इस कारण मुझ में कुछ धार्मिक प्रेरणाएं भी जागृत हो जाती हैं। बसुदेव जी ने जिस पूजन को उठाया है, भले ही एक राज्य या कहीं ओर से उदाहरण के साथ जुड़ा हुआ है लेकिन मानवाधिकार एक व्यापक पूजन है कि मानव को क्या अधिकार हैं। यह केवल सरकार का काम नहीं है, किसी व्यक्ति का काम नहीं है लेकिन सभी को सोचना चाहिए कि जितना अधिकार मुझे प्राप्त है उतना ही इस सृष्टि में सभी प्राणियों को अधिकार है। अगर हम अपने अधिकार की सुरक्षा चाहते हैं तो पहले मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि मैं किसी के अधिकार का अतिक्रमण न करूँ। हम तो दूसरे के अधिकार का अतिक्रमण करें लेकिन मेरे अधिकार का कोई अतिक्रमण न करें। मुझ पर अगर कोई गोली या डंडा चलाए, मेरे घर में घुसकर हत्या करे तो वह मानवाधिकार का हनन नहीं है लेकिन अगर पुलिस अत्याचारियों पर गोली चलाती है, हत्या करती है तो मानवाधिकार हनन का मामला उठने लगता है कि पुलिस ने अन्याय किया, जुल्म किया। आखिर शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था किस के लिए हैं? देश में कुछ मानवाधिकारवादी हैं उन्हें मानवाधिकार से कुछ लेना देना नहीं है। मैं सदन द्वारा देश के सभी नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि हर आदमी को कितने अधिकार हैं, नागरिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, राजनैतिक अधिकार और मानवीय अधिकार। सहज कर्म कौन्तेय, यह भगवान कृष्ण ने क्यों कहा था कि हमारी सभी इंद्रियों को सहज भाव से कर्म करने का अधिकार है। मैं कुछ पूजन करने के बाद डा. लोहिया के दो-तीन उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करके अपनी बात समाप्त करूँगा। भूख और निर्धनता के कारण तड़प-तड़प कर मरने वालों का मानवाधिकार का हनन इस देश में होता है या नहीं। अगर उनके मानवाधिकार का हनन होता है तो उसके लिए जिम्मेदारी किस पर है। जाति प्रथा के कारण जन्म से मरण तक कदम-कदम पर अपमान की अग्नि में झुलस-झुलस कर मरने वालों के लिए मानवाधिकार है या नहीं। आज तक भारतवर्ष में इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्या कोई सरकार है या यह पूरा समाज है और हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दल उसमें शामिल हैं। मैं किसी को इसमें वंचित करने वाला नहीं हूँ और न अलग करने वाला हूँ। सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों को बलपूर्वक रोकना क्या मानवाधिकार का हनन नहीं है। दूर्गापूजा में, रामनवमी में, जनमाष्टमी में जुलूस निकाला जाए और इसी देश में उनके जुलूस को यह कहकर रोका जाए कि इस रास्ते से नहीं जायेगा, क्योंकि यह एक संप्रदाय विशेष पर आघात है और उनके जुलूस को रोक दिया जाए तो क्या वह मानवाधिकार का हनन नहीं है। क्या संविधान में हिंदुस्तान के नागरिकों को सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकार नहीं दिया गया है। मैं इस सदन की मार्फत इस देश के नागरिकों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि हजारों जगह ऐसी घटनाएं घटित होती हैं और मेरे ही संसदीय क्षेत्र मधुबनी में अभी हाल में भैरवस्थान में इसी तरह की घटनाएं घटित हुई हैं। वहां कितने गरीब, निर्धन, निर्बल, पिछड़े और दलित समाज के लोग जो अपने धार्मिक और सांस्कृतिक कर्तव्य को पूरा करने जा रहे थे, जलाभिषेक में उन पर लाठी चली, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनकी औरतों को अपमानित किया गया। क्या यह मानवाधिकार का हनन नहीं है। इस देश में कुछ लोग हैं जो तथाकथित प्रगतिशील हैं, तथाकथित धर्मनिरपेक्षवादी हैं, जिनका कोई धर्म नहीं है, वे धर्म की बात क्या करेंगे, वे धर्मनिरपेक्ष हैं। मैं धर्मनिरपेक्ष नहीं हूँ, मैं धर्म पर हूँ और धर्म को मानता हूँ और मरते दम तक मानूँगा, धर्म सापेक्ष है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि ऐसे कुछ प्रगतिशील और क्रांतिकारी लोग हैं, जो तथाकथित सेक्युलरवादी बनते हैं, यदि ऐसी घटनाएं घटती हैं तो वे कहते हैं कि यह सांप्रदायिक सद्भावना पर आघात है। कोई आदमी यदि अपना धार्मिक जुलूस निकाले, सरकार उसे सुरक्षा देकर निकलवाये और यदि मैं धार्मिक जुलूस निकालूँ तो सरकार मेरा रास्ता रोक दे, क्या यह मानवाधिकार का हनन नहीं है? इस आजाद भारत में गांवों में लाखों जगहों पर ये घटनाएं घटित हो रही हैं। पूजा करना वर्जित है, शंख बजाना वर्जित है, घंटे, घड़ियाल बजाना वर्जित है। सत्यनारायण कथा के बाद अगर शंख फूँके तो सत्यनारायण भगवान का जो पूजा का स्थल है, वहां से शालिग्राम जी को उठाकर फेंक दिया जायेगा। क्या यह मानवाधिकार का हनन नहीं है। इस पर कोई ह्यूमैन राइट्स कमीशन और इस देश के तथाकथित सेक्युलरवादियों का ध्यान क्यों नहीं जाता है। हिंसा और अराजकता द्वारा आतंक फैलाकर लोगों को मानसिक और शारीरिक पीड़ा पहुंचाना क्या मानवाधिकार का हनन नहीं है।

महोदय, इसी सदन में महान समाजवादी डा. राम मनोहर लोहिया ने कहा था - मैं हिंसा नापसंद करता हूँ। मैं अभी भी इस मत का नहीं बना हूँ कि सरकारी हिंसा का जवाब जनता की हिंसा से दिया जाए। मैं अराजकतावाद पसंद करता हूँ, यह अलग बात है। कानून टूटे, मैं पसंद कर सकता हूँ। आजकल के रिश्ते बदले, मैं इसे पसंद करता हूँ। किसी तरह से अस्थिरता खत्म हो, कर परिवर्तन आये, मैं पसंद करता हूँ। लेकिन हिंसा नहीं, मारकाट नहीं, किसी की जान लेना नहीं।

महोदय, जब आतंकवादी, उग्रवादी बम विस्फोट करते हैं और वहां शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस के जवान जंगल में जाते हैं और उन्हें डायनामाइट लगाकर उड़ा देते हैं। हमारे पचास-पचास सिपाही, हमारे भाई कश्मीर में मारे जाते हैं, अपने रक्त से भारत की सीमा को सुरक्षित करने में लगे हुए हैं, अपनी लाशों की दीवार खड़ी करके दुश्मन के कदमों को रोकते हैं, ऐसे लोग जब मारे जाते हैं तो क्या मानवाधिकार का हनन नहीं है। लेकिन अगर एनकाउंटर होता है, आमने-सामने गोलियां चलती हैं और उसमें अगर उग्रवादी, आतंकवादी मारे जाते हैं तो मानवाधिकार का हनन हो जाता है। बाटला हाऊस में मानवाधिकार का हनन होता है। मुंबई में, करकोरे के लिए मानवाधिकार का हनन होता। देश के अंदर ऐसे बेशर्म लोग हैं, जो बेशर्मी के साथ, बिना किसी तर्क के साथ ही किसी बात को उठा दिया करते हैं। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि इस पर भी ध्यान दिया जाए। मतदान केंद्रों पर आज भी लाखों लोग जाते हैं जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अनुसूचित जाति-जनजाति के हैं, निर्धन हैं, निर्बल हैं, कमज़ोर हैं। आज भी वे मतदान केंद्र पर जाते हैं तो ताकतवर लोग लाठी के बल से उनको मतदान केंद्रों से खदेड़ कर भगा देते हैं। उनकी मां-बहनों की इज्जत लूटी जाती है, उनको खदेड़-खदेड़ कर मारते हैं और उनके वोट को फर्जी गिना लेते हैं। क्या यह मानवाधिकार का हनन नहीं है? आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि मानवाधिकार के बारे में अगर इस सदन में चर्चा हो तो विस्तृत चर्चा हो।

बसुदेव आचार्य जी को मानेसर की घटना बताते हुए मैं विनम्रतापूर्वक कहूंगा कि उस गांव के चारों तरफ मेरी रिश्तेदारी है। मज़दूर को अपना अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन क्या मज़दूर को यह अधिकार है कि कारखाने में घुस जाएं, आग लगा दें, एक जीएम की टांग तोड़ दें और आग में जला कर मार दें? वहां दो अधिकारी आग में जला कर मार दिए गए। क्या उनको मानवाधिकार नहीं था? क्या वे जानवर या चूहे थे? उनको हिंसा करने का अधिकार किसने दिया था? 15 गांव के किसान इकट्ठा हुए और उन्होंने लठ ले कर कहा कि इस कारखाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं सुरक्षा प्रदान करूंगा तब जा कर वह कारखाना चल रहा है। मज़दूर यूनियन बनाएं, मज़दूर अपने अधिकार के लिए लड़ें। मज़दूर को अधिकार मिलें। उनको भी सभी अधिकार दिए जाएं। लेकिन उन्हें यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि कारखाने में घुस जाएं, आग लगा दें, जला दें, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान करें और लोगों को मार-मार कर उनकी जान ले लें। यह अधिकार उनको कभी प्राप्त नहीं है। मैं अंत में डॉ. लोहिया की एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। इसी सदन में 03, अप्रैल 1964 को डॉ. राम मनोहर लोहिया ने कहा था, जो इस देश के सभी हिंदुओं और मुसलमानों को ध्यान रखना चाहिए। यह बात सरकार को, सभी राजनीतिक दलों को और तथकथित सेक्युलरवादियों को भी ध्यान में रखनी चाहिए। मैं उनको कहता हूँ जो अपने आप को सेक्युलरवादी कहते हैं, वोट बैंक बनाते हैं और केवल ऐसे नाचने लगते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान में जाति प्रथा के कारण हिंदू समाज, जो जाति के दलदल में धंसा हुआ है, अपनी जाति के नेताओं की दुम पकड़ कर के वैतरणी पार होना चाहता है। इसलिए उनकी कोई चिंता नहीं है। चाहे उनकी इज्जत लुट जाए। डॉ. लोहिया ने कहा कि " हिंदुस्तान-पाकिस्तान दोनों जगहों की जनता के सामने एक महान आदर्श रखें कि किस तरह से जीने का अधिकार सारी दुनिया का सबसे बड़ा अधिकार है। हिंदुस्तान का मुसलमान जिए और पाकिस्तान का हिंदू जीए। मैं इस बात को बिल्कुल ठुकराता हूँ कि पाकिस्तान के हिंदू पाकिस्तान के नागरिक हैं, इसलिए हमें उसकी परवाह नहीं करनी है। पाकिस्तान का हिंदू चाहे जहां का नागरिक हो, लेकिन उनकी रक्षा करना हमारा उतना ही कर्तव्य है, जितना कर्तव्य हिंदू या मुसलमानों की रक्षा करना है। यह तर्क दे देना कि कौन कहां का नागरिक है, यह व्यर्थ हो जाता है। यह मामले को बिगाड़ देता है। जीवन का अधिकार, जीने की सुरक्षा हमें सबको देनी है। " यह जीने का अधिकार हर नागरिक को है। जितना अधिकार आतंकवादी को है, उतना ही पुलिस को भी है। इसलिए मैं यह मांग करता हूँ कि जो मानवाधिकार की बात करने वाले हैं, आज पाकिस्तान के लाखों हिंदू, वहां से भगाए जा रहे हैं, वे भारत की सीमा में आए हुए हैं, उनको न पीने का पानी देंगे, न रहने का घर देंगे, न उनके बच्चे को कपड़ा देंगे, न उनको राशन देंगे। अगर यह बात उठाने हैं तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की बात करते हैं? पाकिस्तान के उन लाखों-करोड़ों हिंदुओं के मानवाधिकार का हनन हो रहा है। उनकी बहू-बेटियों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। क्या यह मानवाधिकार का हनन नहीं है? कहां गए टी.वी. वाले, अखबार वाले और तथकथित सेक्युलरवादी लोग, उनकी आंखें उधर क्यों नहीं जाती हैं। अगर इस बात को उठाया जाए तो हुसमदेव नारायण यादव सांप्रदायिक है। बंगलादेशी के लिए तुम्हारे पास सब कुछ है। लेकिन पाकिस्तानी हिंदू के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अगर बसाना चाहते हो, बड़े उदारवादी बनते हो तो उनको भी हिंदुस्तान में आने दो, हिंदुस्तान में बसने दो। उनको भी रोटी, कपड़ा और मकान दो। उनके बहू-बेटियों की इज्जत करो। अगर समाजवादी नेता डॉ. राम मनोहर लोहिया इसी संसद में इस बात को जिस हिम्मत के साथ कह सकते हैं तो आज हुसमदेव नारायण यादव भी उसी हिम्मत के साथ उनकी बात को दोहराता है और लोगों से कहता है कि सोचो और अपनी दृष्टि को व्यापक बनाओ।

अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं हिंदुस्तान के उन करोड़ों निर्धन, निर्मल, पिछड़े, दलित, शोषित, उपेक्षित, उपहासित मानव से कहना चाहता हूँ कि तुम इन तथकथित मानवाधिकारवादियों के झंडट में मत उलझना, ये बड़े-बड़े लोग हैं, एनजीओ चलाते हैं, पैसा खाते हैं, विदेश से लाते हैं, मौज-मस्ती में उड़ाते हैं, चैनल दिखाते हैं, अखबार में छापते हैं, बाप-बेटा दलाल, बैल के दाम बारह आना, सब मिलकर लिखते हैं, पढ़ते हैं और हिंदुस्तान की सही तरवीर को सामने नहीं आने देते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि इस पर व्यापक दृष्टिकोण बनाये और मानवाधिकार के बारे में हिंदुस्तान की संसद में एक व्यापक बहस होनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और हिंदुस्तान के सभी नागरिकों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदय, मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित प्राइवेट मेंबर बिल जो बासुदेव आचार्य जी लाए हैं, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

सभापति महोदय: अगर आप संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे, तो अगला रेजोल्यूशन भी ले लेंगे।

श्री शैलेन्द्र कुमार: महोदय, इसे परिभाषित किया जाए तो नागरिकों का उत्पीड़न और उनके जीवन संबंधी अधिकारों का हनन ही मानवाधिकार उल्लंघन है। रोटी, कपड़ा और मकान आरंभ से ही भारत की तीन बुनियादी जरूरतें थीं, लेकिन यह भी गरिमामय नहीं है, इसमें भी बड़ी विषमताएँ हैं। अगर देखा जाए तो जो गरीब हैं, शेडयूल कास्ट, शेडयूल ट्राइब्स, ओबीसी और माइनोरिटीज के साथ ही ज्यादातर उत्पीड़न होते हैं।

महोदय, अगर भारत की तस्वीर देखें तो भारत में आज तीस प्रतिशत लोग गरीबी से तूस्त हैं और चार करोड़ लोगों के पास तो अपना घर ही नहीं है। तेरह लाख व्यक्तियों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है और छह लाख विकलांगता से ग्रस्त हैं। भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना 27 दिसंबर, 1993 में की गयी। इसके प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जी थे। अगर विस्तार से भारतवर्ष की स्थिति देखें तो आज दो करोड़ से ज्यादा बच्चे बाल आश्रम की यातना को सह रहे हैं। विश्व के भूख सूचकांक को अगर देखा जाए, उन देशों की सूची में भारत का 65वां स्थान है। प्रतिदिन पांच हजार बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं और विश्व में 27 फीसदी भारत में कुपोषित लोग हैं।

महोदय, आज जरूरत इस बात की है कि मानवाधिकार आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की आवश्यकता है। पुलिस मुठभेड़ में बहुत से एनकाउंटर होते हैं, या तो सही होते हैं या वे फर्जी होते हैं, बाटला हाउस का मामला अभी बसुदेव आचार्य जी ने बताया। पुलिस लॉकअप में भी मौतें होती हैं, अधिक पिटाई होने पर पुलिस की हिरासत में भी मौतें होती हैं। अगर आज हिन्दुस्तान की जेलों की स्थिति देखें तो क्षमता से ज्यादा लोग वहां पर रखे गये हैं। हम आज भी जेलों की स्थिति पर रो रहे हैं, उस क्षमता को हम नहीं बढ़ा पाये हैं। ज्यादातर यह देखा गया है कि जेल में मौत होती है या आदमी बीमार होता हो, जबकि वहां पर हॉस्पिटल हैं, मरते जेल में हैं और उन्हें ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है कि वे जेल में बीमार पड़े, हॉस्पिटल में एडमिट किया और उनकी मृत्यु हो गयी। ऐसे बहुत केसेज़ सामने आये हैं।

महोदय, अपराधों में जो बढ़ोतरी हुई है, उसका मुख्य कारण यह रहा है कि जो थर्ड डिग्री का इस्तेमाल अपराधियों पर होता है, उसमें थोड़ी-बहुत कमी आयी है और यही कारण हुआ है कि अपराध भी बढ़े हैं। अगर एक तरफ इसका फायदा है तो नुकसान भी है। मंत्री जी आप इस बात पर बहुत हंस रहे हैं। आज राज्य सरकारें धारा 121 और 124(ए) का विरोध कर रही हैं। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने वर्ष 1951 में इस धारा का विरोध किया था। हुसमदेव नारायण जी अगर गुजरात की स्थिति को देखा जाये तो 19 हजार से ज्यादा लोगों पर वहां पर मुकद्दमे चले हैं, वहां की जो रिपोर्ट आयी है, वह ऐसा बताती है।

2010, 2011 और 2012, इन तीन वर्षों के रिकार्ड अगर देखे जाएं तो पुलिस संरक्षा में और डिफेंस में, अर्द्धसैनिक बलों द्वारा मुठभेड़ों के 439 मामले हुए हैं जैसा माननीय मंत्री जी द्वारा अतारांकित प्रश्न के जवाब में बताया गया है। इसमें संदिग्ध मुठभेड़ 155 दिखाई गई हैं। एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट यदि देखें तो प्रति वर्ष 175 लोग पुलिस लॉकअप में यातना तथा अपराध स्वीकृति के जवाब के चलते मारे जाते हैं। यह रिकार्ड है। यदि सेना के खिलाफ मानवाधिकार हनन कोई शिकायत है तो केन्द्र के मानवाधिकार आयोग को कोई पावर ही नहीं है। 95 प्रतिशत मामले रद्द कर दिये जाते हैं जिन पर कोई सुनवाई भी नहीं होती है। भारत में अगर हर वर्ष मानवाधिकार उल्लंघन के केसेज़ देखे जाएं तो औसतन 80 हजार केसेज़ हर वर्ष दर्ज होते हैं। देश के 11 राज्यों में आज भी मानवाधिकार आयोग स्थापित नहीं हो पाया है। यह बड़ा दुर्भाग्य है। हम इस सदन में चर्चा कर रहे हैं लेकिन राज्यों में मानवाधिकार स्थापित नहीं हो पाया है। यह बड़ा दुर्भाग्य है। गुजरात की रिपोर्ट में अभी देख रहा था कि आयोग के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश डी.एस. सिसन्हा ने बताया कि चार वर्षों में 11500 मामले सामने आए जिसमें महिलाओं पर 6000 मामले हुए जिसमें 3001 मामले अल्पसंख्यक महिलाओं पर हैं। वहाँ की जेलों की स्थिति यह है कि वहाँ की जो क्षमता है, उससे करीब 74 प्रतिशत ज्यादा लोग उसमें रखे जाते हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो जल, जंगल और ज़मीन के लिए जो लड़ाई हमारे आदिवासी एस.टी. वर्ग के लोग लड़ते हैं, उन पर धारा 121 व 124 ए लगाई जाती है जो चार-पाँच महीने में खत्म होनी चाहिए, लेकिन कभी-कभी उनको पाँच वर्ष लग जाते हैं। तो इस धारा को भी समाप्त करने की आवश्यकता है। नवसल प्रभावित क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो वहाँ भी बहुत सारी शिकायतें आई हैं। मुख्य न्यायाधीश बालाकृष्णन जी ने मीडिया को भी आगाह किया है कि मीडिया भी ऐसी खबरें प्रमुखता से प्रकाशित करे जहाँ मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। आज अगर आँकड़े देखें तो 20 प्रतिशत भारतीय इस देश की 80 प्रतिशत दौलत के मालिक हैं जैसा हुसमदेव नारायण जी ने कहा। जो सैन्यकर्मी मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी पाए गए, उनकी संख्या 129 है। यहाँ तक कि कभी-कभी हमारे यहाँ भी कोई घटना घटती है और हम लोग यहाँ लिखते हैं तो उनको मुआवज़े की धनराशि नहीं मिल पाती है। अगर राज्यवार आँकड़े देखे जाएं तो उत्तर प्रदेश में 12 अगस्त, 2011 को 18000 केस दर्ज हुए। दिल्ली दूसरे नंबर पर है। फिर हरियाणा, एम.पी., बिहार आता है और सिकिम में सबसे कम है।

सभापति जी, आज आवश्यकता इस बात की है कि मानवाधिकार उल्लंघन और हनन के बारे में हम यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं, हमें गंभीरता से देखना पड़ेगा कि जो अपराध हुए हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और जो निर्दोष हैं, उनको कम से कम प्रताड़ना से गुज़रना न पड़े और जो दोषी लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, इस ओर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। इस ओर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जो निर्दोष लोग पिटाई में और फर्जी एनकाउंटर में मारे जाते हैं, उनके परिवारों को मुआवज़ा मिले। इन्हीं बातों के साथ चूँकि आपने कहा कि जल्दी समाप्त करें, मैं अर्जुन मेघवाल जी के बिल की भी चिन्ता कर रहा हूँ चूँकि उन्होंने हमें शिववैस्ट किया था, इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और बसुदेव आचार्य जी के इस संकल्प का पुरज़ोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि इस संकल्प पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। किसी ने कहा है कि 'सब आये एक देश से उतरे एकै घाट।' सभापति जी, इस संबंध में मुझे ज्यादा आपका अनुभव है। लेकिन घाट पर आने के बाद मानव की जो दुर्गति समाज द्वारा बनाई गई व्यवस्थाओं के नाते हो रही है, उसकी कल्पना मात्र से सिहरन होने लगती है। मानवाधिकार की बात जब हम करते हैं तो यह बात तय है कि वह वहीं तक सीमित है कि अगर पुलिस ने थाने में किसी को मारा, मैं यह नहीं कह रहा कि उचित करती है, सेना ने किसी को मारा तो मानवाधिकार दिखाई देता है। सबसे अधिक मानवाधिकार पर खतरा उन्हीं से है, जो मानवाधिकार को लागू कराने वाली शक्तियाँ हैं।

हमारे देश के छोटे-छोटे बच्चे और गरीबों के बच्चों के अंगों को काटा जा रहा है और उनकी तस्करी हो रही है, ऐसी कई घटनाएं सामने आयी हैं। इस बारे में मानवाधिकार क्या कर रहा है? हजारों लड़कियाँ, जो नाबालिग हैं रोज घटनाएं हो रही हैं देश के कई प्रांतों में और दुनिया के कई मुल्कों में यहां तक कि नेपाल से हजारों लड़कियाँ प्रति वर्ष भारत के रास्ते दुनिया के दूसरे देशों में भेजी जा रही हैं। क्या उन्हें न्याय नहीं मिलेगा? सामाजिक न्याय किए बिना मानवाधिकार की बात करना बेमानी है। गांव में एक आदमी से देसी मुर्गा मांगा जाता है, अगर वह नहीं दिया तो उसे पेड़ में बांध कर मारा जाता है और इतना मारा जाता है कि वह मर जाए। क्या वह मानवाधिकार का हकदार नहीं है? व्यवस्थाओं के चलते जो हमारी बेटीयों हैं, हमारा संविधान कहता है कि हम अद्वारह वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं करने देंगे, लेकिन जो बाल विवाह की परम्परा है, क्या यह मानवाधिकार के अधीन नहीं है? आज देश की ऐसी स्थिति है कि तीस फीसदी लोग इतने गरीब हैं, जो अपने छोटे बच्चे को सौ रूपए प्रतिदिन पर भीख मांगने के लिए देते हैं कि अगर गोद में छोटा बच्चा रहेगा तो भीख ज्यादा मिलेगी। उसे मानवाधिकार का हक कब मिलेगा? पूरे देश में जो माहौल है, उसके अनुसार हमारे पास जो मानवाधिकार के कानून हमारे पास हैं, हालात के अनुसार इन कानूनों को बनाना चाहिए। हमारी बनाई व्यवस्थाओं से सामाजिक न्याय दिए बिना हम निश्चित तौर पर मानवाधिकार पर पूरी तरह से लगाम नहीं लगा सकते हैं। मानवाधिकार की घटनाओं के बारे में एक घटना का जिक्र करना चाहता हूँ, क्योंकि माननीय मंत्री जी भी यहां बैठे हैं कि सात साल की सजा से कम के जो अपराध होंगे, उसे थाने से ही जमानत मिल जाएगी। उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है कि जो हमारे अधिकारियों से जो असरदार और प्रभावशाली व्यक्ति है, वह तो उस कानून का लाभ उठाकर थाने से बच जाता है लेकिन जो गरीब आदमी है जो निहायत कमजोर आदमी है, वह कभी भी मानवाधिकार का लाभ नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि उसे

तजुर्बा नहीं है कि कहां हम शिकायत करें, क्योंकि उसे जानकारी नहीं है और उसे एक दर्खास्त लिखनी नहीं आती है। इसलिए गांव का गरीब आदमी जो आज हजारों की संख्या में ऐसी जमीनों पर बसाया गया है, जहां की जमीन भी उनके नाम नहीं है। वे क्या कर सकते हैं और कौन-से मानवाधिकार को ले कर रोएं और पूरे देश में इनकी तादाद भी कम नहीं है। रेलवे स्टेशनों पर चले जाइए। कबाड़ बीनते बच्चे, क्या उनका यही मानवाधिकार है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों पर मानवाधिकार को लागू करने का जिम्मा है, वे इस बात का इंतजाम करें कि जो होशियार आदमी है वह तो दर्खास्त दे कर मानवाधिकार तक मामला ला देता है, उसकी बात तो पहुंच जाती है, लेकिन जो गरीब आदमी है, जो वनवासी है, जो आदिवासी है, जो ओबीसी, एससी और एसटी का आदमी है, जो मायनोरिटी का आदमी है, जिनको ज्ञान नहीं है कि मानवाधिकार का लाभ कैसे ले सकते हैं।

उनके साथ बड़ी तादाद में घटनाएं हो रही हैं, लेकिन वे पूकाश में नहीं आ रही हैं। मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि ये घटनाएं उनके पूकाश में भी आए कि आज लोग एक मुर्गे के लिए मारे जाते हैं, कहीं खड़ा हो जाने पर मारे जाते हैं, मन्दिर में चले जाने के कारण मारे जाते हैं, पूजा में बैठ जाने के कारण मारे जाते हैं।

सभापति महोदय, यह विभिन्नताओं का देश है। यहां पर एक जगह खुशी में शंख बजता है और दूसरी जगह मौत में शंख बजता है, ऐसी विभिन्नताओं का हमारा देश है।

आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहान (साबरकांठ): माननीय सभापति जी, आपने मुझे श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तावित देश में मानवाधिकार उल्लंघन की बढ़ती घटनाओं पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति जी, मानवाधिकार वह है जिससे मानव को अच्छे जीवन जीने का अधिकार मिले। जिसके द्वारा स्वतंत्रता, सम्मान, सुरक्षा, स्वाभिमान, और शांति के साथ वह अपना जीवन जी सके, उसे मानवाधिकार कहते हैं। अगर विश्व के देशों में देखें तो इंग्लैंड में जो मैग्नाकार्टा आज़ापत्र प्रस्तुत हुआ था, उसमें मानवाधिकार का जिक्र किया गया था। अमेरिका में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान और फ्रांस में क्रांति के दौरान इसका उल्लेख किया गया है। हमारे देश में मानवाधिकार के संरक्षण के लिए 27 दिसम्बर, 1993 को मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गयी। लेकिन आज आजादी के 65 साल बाद हम देखें तो देश की स्थिति चिंताजनक है। हर क्षेत्र में हम मानवाधिकार का हनन होते हुए देख रहे हैं। गरीबी, असमानता, अन्याय, शोषण हो रहा है। आज 30 प्रतिशत से ज्यादा लोग गरीबी से त्रस्त हैं। चार करोड़ परिवारों के पास अपना घर नहीं है। डेढ़ लाख बस्तियां शुद्ध पेयजल से वंचित हैं। दो करोड़ से ज्यादा बच्चे बाल श्रम की यातना सह रहे हैं। विश्व भूख सूचकांक में 88 देशों में हमारा स्थान 66वां है। देश में आर्थिक असमानता है। देश में 150 करोड़ परिवारों के पास की कुल सम्पत्ति देश के पचास करोड़ देशवासियों की कुल सम्पत्ति से ज्यादा है। आज देश में 42 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। सदियों से महिलाएं पीड़ित हो रही हैं। वे कुपोषण का शिकार हो रही हैं। कई निर्दोष लोग बिना दायल चले जेलों में बंद हैं। मानवाधिकारों के हनन के मामले सामने आ रहे हैं।

अभी हाल में असम में जो घटनाएं घटीं, वे हमारे लिए चिंताजनक हैं। कश्मीरी पंडित अपने वतन को छोड़कर फुटपाथ पर रह रहे हैं। देश के 220 जिले नक्सलवाद से पीड़ित हैं। भारत में इस असमानता को दूर करने के लिए एक दीर्घकालीन योजना बनाने की जरूरत है। समाज के वंचित वर्गों के लिए रोजगार सृजन व सभी तक शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित करना होगा।

अन्त में, मानवाधिकारों की रक्षा के अभाव में एक स्वस्थ समाज के निर्माण की कल्पना को साकार नहीं किया जा सकता। देश में मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु समाज में व्याप्त हर तरह की असमानता को दूर करना होगा और सभी के लिए समान अवसर और आर्थिक सुविधाएं मुहैया करानी होंगी।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI JITENDRA SINGH): Sir, I thank the hon. Member, Shri Basu Deb Acharia, who has just come in, whom I was missing. I also thank Shri Hukmadeo Narayan Yadav Ji, Shri Shailendra Kumar Ji and Shri Rajbhar Ji, who spoke on a very important matter.

The Constitution of India has provisions and guarantees for safeguarding human rights, including almost the entire gamut of civil and political rights. The Directive Principles of State Policy further require the States to ensure promotion and protection of social, cultural and economic rights particularly of the weaker sections of the society. The civil and criminal laws of the country have in-built mechanisms to safeguard the rights of the individuals and provide special protection to most vulnerable sections of the society.

The Government of India has set up the National Human Rights Commission (NHRC) under the Protection of Human Rights Act in 1993 with the purpose of ensuring that cases of human rights violation are effectively redressed. The NHRC registers cases on the basis of complaints received from individuals, NGOs, *suo motu* cognizance and limitations received from authorities in various State Governments and Union Territories about the death in custody and encounters. Out of these, a number of complaints relate to service and civil matters and do not bring out specific human rights violations. Enquiries are conducted by NHRC into these complaints which bring out specific human rights violations. Therefore, NHRC makes appropriate recommendations for payment of monetary relief to the victims of the next of kin of deceased persons. They also recommend disciplinary action or prosecution or both against the guilty public servant.

The number of complaints registered by NHRC pertaining to human rights violation cases during the last three years

from 2010 to 2012 was 80,260, 82,779 and 94,630 respectively. During the same period of three years NHRC had recommended monetary relief of Rs.6.34 crore in 398 cases, Rs.18.29 crore in 582 cases and Rs.15.27 crore in 588 cases respectively.

NHRC has issued guidelines from time to time to all States for conducting inquiries into the cases of custodial encounter deaths and such cases are required to be brought to the notice of NHRC within 24 hours. 24 घंटे के अंदर उन्हें इन्फॉर्मेशन भेजनी पड़ती है।

For curbing incidence of human rights violation across the country NHRC has endeavoured to inculcate the human values in the young mind. They conduct training programmes including online training for police officers and administrative officers and internship programmes for the young students.

The NHRC also monitors places of detention, prisons, and police lock-ups to check whether there is any case of custodial torture. Besides this, the NHRC has also been monitoring the prevailing conditions of hospitals for mentally challenged patients at Agra, Ranchi and Gwalior.

The NHRC has been equally concerned with the violation of rights of human rights defenders and a nodal officer has been appointed to follow up such cases.

Sir, I would also like to suggest what Acharia Ji has suggested. I would like to give him some of the instances. As per the records of NCRD, National Crime Record Bureau, the trends shown for the last 2006-2012 are actually decreasing. I may read out the trends of custodial deaths in police custody and judicial custody.

In 2009-10, the number of deaths in police custody was 124 and in judicial custody, the number of deaths was 1473. In 2010-11, it slightly increased to 146 and the number for judicial custody death was 1426. In 2011-12, the number of deaths in police custody came down to 128 and 1302 in case of judicial custody. So, there is a mix trend which is coming up.

I would also like to suggest as per information received from the NCRB, in the years 2009, 2010 and 2011; 45, 38 and 52 cases were registered against policemen respectively. Out of which, 12, 25 and 14 policemen have been charge sheeted in different States and Union Territories.

In the light of above, I am of the view that effective structures are already in place for curbing incidents of human rights violation cases. Therefore, I would request the hon. Member to kindly withdraw the Resolution.

SHRI BASU DEB ACHARIA: I cannot withdraw the Resolution as he has not given any assurance. I have cited a number of examples and I have referred to a number of incidents. Without any firm assurance, how can I withdraw the Resolution? While replying, the Minister has stated measures taken by NHRC and other agencies in regard to certain incidents. But in general, human rights, right to decent living and right to livelihood, these rights are being violated. There is no assurance that the Central Government will have an active and effective role and will also take effective action to curb the incidents of human rights violations.

SHRI JITENDRA SINGH: Sir, I would reiterate to the hon. and senior Member that there are already structures and institutions in place. As regards hon. Member's concerns, the NHRC deals with a wide variety of issues. It could be para-military, it could be matters related to custodial death, it could be matters related to any other issue. It has a very wide scope. So, the structures and processes are already in place.

The NHRC has a mandate to take up, enquire and give judgement on such matters which come within its ambit. So, all those concerns are taken care of by NHRC. Therefore, I would again request the hon. Member to withdraw his Resolution.

MR. CHAIRMAN: Are you withdrawing your Resolution?

SHRI BASU DEB ACHARIA: I am not withdrawing.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That this House expresses its serious concern over the rising incidents of violation of Human Rights in various parts of the country and urges upon the Government to take effective steps to curb the occurrence of such incidents."

The motion was negatived.

